



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168785

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7328 वर्ष 2026

अमित त्यागी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता : निखिल कुमार यादव, राम शिरोमणि यादव, वरिष्ठ
अधिवक्ता, वागीश यादव, विशाखा पांडे, यशस्विन
वेणुगोपाल बाजपेयी

प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता : अभिषेक तिवारी, जी.ए., लोकेश मिश्रा, महेंद्र पांडे

न्यायालय संख्या - 76

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. वादसूची पुनरावलोकित की गई।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री यशस्विन वेणुगोपाल बाजपेयी और श्री राम शिरोमणि यादव, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक तिवारी और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम श्री अजय सिंह को सुना और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का परिशीलन किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. दिनांक 05.08.2026 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"1. वादसूची पुनरावलोकित की गई।

2. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश पांडे, जिनकी सहायता आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री यशस्विन वेणुगोपाल बाजपेयी कर रहे थे, प्रतिपक्षी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक तिवारी और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम श्री अजय सिंह को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

3. यह आवेदक का तीसरा जमानत आवेदन है।

4. मामले के अभिलेखों से पता चलता है कि आवेदक को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आदेश दिनांक 25.06.2026 के माध्यम से अल्पकालिक/पैरोल दी गई थी। अभिलेखों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चले कि इसके बाद आवेदक ने आत्मसमर्पण किया है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक द्वारा समर्पण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है।

6. प्रार्थना को अनुमति है।

7. इस मामले को 12.08.2026 को नए मामले के रूप में सूचीबद्ध किया जाए।"

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने पूरक शपथपत्र दिनांक 10.08.2026 पर भरोसा जताया, जो अभिलेख में मौजूद है, और संलग्नक-एसए-2 के रूप में है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद का आदेश दिनांक 04.07.2026 प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा आवेदक के उसी दिनांक के आत्मसमर्पण आवेदन पर उसे अभिरक्षा में लिया गया और जेल भेज दिया गया। यह निवेदन किया

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गया है कि आवेदक की पैरोल/अल्पकालिक जमानत 25.06.2026 से 04.07.2026 तक स्वीकृत की गई थी और इस प्रकार उसने बिना किसी चूक के समय पर आत्मसमर्पण कर दिया है।

5. न्यायालय मामले की सुनवाई हेतु अग्रेषित होता है।

6. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत यह जमानत आवेदन आवेदक **अमित त्यागी** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 0668 वर्ष 2020, अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 120-बी और 34 भारतीय दंड संहिता, पुलिस स्टेशन मोदी नगर, जिला गाजियाबाद के संबंध में विचारण की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर किया गया है।

7. इस मामले पर पहली बार 22.02.2026 को सुनवाई हुई और इस पीठ द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"1. वादसूची पुनरावलोकित की गई।

2. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता श्री विशाखा पांडे के वादधारक अधिवक्ता श्री ज्योति कुमार सिंह और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम श्री अजय सिंह उपस्थित हैं।

3. यह तीसरा जमानत आवेदन है।

4. पूर्व दस्तावेजों सहित उचित पीठ के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत करें।"

8. इसके बाद अभिलेखों से पता चलता है कि आवेदक की ओर से 19.05.2026 को अल्पकालिक जमानत/पैरोल आवेदन संख्या 2 वर्ष 2026 दायर किया गया था, जिसे इस पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2026 के अनुसार अतिशीघ्र पूर्व दस्तावेजों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गया था। इसके बाद कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.06.2026 में उल्लेख किया कि पैरोल आवेदन की सुनवाई की तिथि 25.06.2026 निर्धारित की गई है और मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए एक पीठ नामित करने हेतु रखा गया है। आदेश दिनांक 23.06.2026 के अनुसार माननीय मुख्य न्यायाधीश ने मामले को अन्य पीठ द्वारा सुनवाई के लिए नामित किया। उक्त अल्पकालिक जमानत पर इस न्यायालय की अन्य पीठ द्वारा 25.06.2026 को सुनवाई की गई और निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"1. माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा किए गए नामांकन के अनुसार, जैसा कि आदेश पत्र में दर्शाया गया है और जैसा कि प्रभारी रजिस्ट्रार (न्याय), दिनांक 23.06.2026 के नोट से स्पष्ट है, मामला इस न्यायालय के समक्ष रखा गया है।

2. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री चंद्र बदन द्वारा आज अनुदेश दाखिल किए गए हैं। इन्हें अभिलेख में ले लिया गया है और परिशिष्ट-ए के रूप में चिह्नित किया गया है।

आपराधिक विविध अल्पकालिक जमानत/द्वितीय पैरोल आवेदन संख्या 3 वर्ष 2026 के संबंध में:-

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत आपराधिक विविध तृतीय जमानत आवेदन संख्या 7328 वर्ष 2026 में, यह अल्पकालिक जमानत/पैरोल आवेदन, आवेदक अमित त्यागी पुत्र हरकेश त्यागी की ओर से दायर किया गया है, जो 20.10.2020 से मुकदमा अपराध संख्या 0668 वर्ष 2020, अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 120-बी और 34 भारतीय दंड संहिता, के संबंध में पुलिस स्टेशन मोदी नगर, जिला गाजियाबाद में जेल में बंद है।

2. अल्पकालिक जमानत इस आधार पर मांगी गई है कि आवेदक की बेटी का विवाह 01.07.2026 को संपन्न होना निर्धारित है। यह निवेदन किया गया है कि विवाह पूर्व और विवाह संबंधी विभिन्न

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



समारोहों के लिए आवेदक की उपस्थिति आवश्यक है, अतः उसे अल्पकालिक जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

3. अल्पकालिक जमानत देने की प्रार्थना का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा कड़ा विरोध किया गया है। हालांकि, वे आवेदक की बेटी के विवाह के तथ्य पर विवाद नहीं कर सके।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय आवेदक अमित त्यागी, पुत्र हरकेश त्यागी को, मुकदमा अपराध संख्या 0668 वर्ष 2020, अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 120-बी और 34 भारतीय दंड संहिता, पुलिस स्टेशन मोदी नगर, जिला गाजियाबाद में, 25.06.2026 से शुरू होकर 04.07.2026 तक (दोनों दिन शामिल) दस दिनों की अवधि के लिए अल्पकालिक जमानत पर रिहा करना उचित समझता है, बशर्ते कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी रिहाई के समय शर्तें लगाई जाएं।

(i) आवेदक अल्पकालिक जमानत की अवधि के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखेगा और किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

(ii) अल्पकालिक जमानत की अवधि के दौरान, आवेदक के साथ आवश्यक पुलिस गार्ड तैनात रहेंगे जो उस पर 24 घंटे निगरानी रखेंगे, लेकिन आवेदक अपनी इच्छानुसार स्थानों पर जाने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iii) आवेदक अल्पकालिक जमानत की अवधि समाप्त होते ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा और उसे वापस जेल भेज दिया जाएगा।

5. इस आदेश की सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद को रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के माध्यम से दी जाए ताकि उचित व्यवस्था की जा सके।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. संबंधित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उचित सुरक्षा उपाय किए जाएं ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे।
7. इस आदेश की एक प्रति आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को आज ही सामान्य शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाए।
8. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद अगली निर्धारित तिथि तक इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन के संबंध में अपनी रिपोर्ट/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
9. तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है।

आपराधिक विविध अल्पकालिक जमानत/पैरोल आवेदन संख्या 2 वर्ष 2026 के संबंध में:-

चूंकि पैरोल के लिए द्वितीय आवेदन उसी राहत के लिए दायर की गई थी और उसे स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए यह आवेदन निष्प्रभावी हो गया है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

आपराधिक विविध तृतीय जमानत आवेदन पर आदेश:-

इस मामले को उपयुक्त न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करें।“

9. इसके बाद दिनांक 27.06.2026 को इस मामले में आदेश दिनांक 25.06.2026 में संशोधन हेतु एक संशोधन आवेदन दायर किया गया, जिस पर सुनवाई हुई और उक्त न्यायालय ने दिनांक 30.06.2026 को इस मामले में निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"1. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.06.2026 को आदेश पारित किए जाने के बाद, एक संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर कल 29.06.2026 को सुनवाई हुई, आज मामले को सूचीबद्ध किया गया है।

2. आज जब इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई, तो आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने पूरक शपथपत्र की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह तर्क दिया कि आयुध अधिनियम की धारा 25, 54 और 59 के अंतर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट, मुकदमा अपराध संख्या 0133 वर्ष 2020 के संबंध में आवेदक को 18.05.2021 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। हालांकि, गिराहबंद अधिनियम की धारा 2 और 3 के अंतर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट, मुकदमा अपराध संख्या 1071 वर्ष 2020 के संबंध में, उन्हें प्राप्त अनुदेशों के अनुसार, विचारण न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मामले को आज के लिए स्थगित कर दिया जाए और इसे अगली सुनवाई के लिए 15.07.2026 को रखा जाए।

4. उनके अनुरोध पर इस मामले को 15.07.2026 को उपयुक्त पीठ के समक्ष नए सिरे से सुनवाई के लिए रखा जाए।"

10. कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.07.2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2026 को अपील हेतु विशेष अनुमति (आपराधिक) संख्या 10526 वर्ष 2026 (अमित त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित आदेश को अभिलेख पर रखा, उक्त आदेश इस प्रकार है:-

"1. यद्यपि यह विशेष अनुमति याचिका एक हानिरहित आदेश दिनांक 27.02.2026 के विरुद्ध प्रतीत होती है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के तीसरे जमानत आवेदन को उपयुक्त पीठ के समक्ष

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था, संक्षेप में, इसमें उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त जमानत आवेदन के शीघ्र निपटारे की प्रार्थना की गई है। यह सत्य हो सकता है कि याचिकाकर्ता 21 मामलों में संलिप्त है, लेकिन तथ्य यह है कि वह पहले ही 5 वर्ष अभिरक्षा में बिता चुका है।

2. इस न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय को लंबित जमानत आवेदन पर समयबद्ध तरीके से निर्णय लेना चाहिए। अतः, हम इस विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह लंबित जमानत आवेदन पर शीघ्रता से, अधिमानतः दो सप्ताह के भीतर निर्णय ले।

3. यदि कोई आवेदन लंबित है, तो उसे बंद माना जाएगा।“

11. अतः न्यायालय ने 22.07.2026 के आदेश द्वारा संपूर्ण मामले पर विचार करते हुए निर्देश दिया कि इस जमानत आवेदन की सुनवाई के लिए पीठ मनोनीत करने हेतु मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। पारित आदेश इस प्रकार है:-

"1. वादसूची पुनरावलोकित की गई।

2. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश पांडे, जिनकी सहायता आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री यशस्विन वेणुगोपाल बाजपेयी कर रहे थे, प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक तिवारी और श्री महेंद्र पांडे, तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम श्री अजय सिंह को सुना और अभिलेखों का परिशीलन किया।

3. यह तीसरी जमानत आवेदन है। आवेदक की पहली जमानत आवेदन को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आदेश दिनांक 20.12.2021 के द्वारा अंतर्गत आपराधिक विविध जमानत आवेदन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



संख्या 8201 वर्ष 2021 (अमित त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) खारिज कर दिया था। आवेदक ने दूसरी जमानत आवेदन दायर की, जिसे उक्त पीठ ने खारिज कर दिया और फिर माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिनांक 16.08.2024 को पारित आदेश द्वारा मामले को इस पीठ को नामित किया गया। इसके बाद इस पीठ ने दिनांक 01.08.2025 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 28036 वर्ष 2024 (अमित त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित आदेश द्वारा दूसरी जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।

4. 27.02.2026 को यह मामला पहली बार इस न्यायालय के समक्ष आया और निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

"1. वादसूची पुनरावलोकित की गई।

2. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता श्री विशाखा पांडे के वादधारक अधिवक्ता श्री ज्योति कुमार सिंह और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम श्री अजय सिंह उपस्थित हैं।

3. यह तीसरा जमानत आवेदन है।

4. पूर्व दस्तावेजों सहित सूची को उचित पीठ के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत करें।"

5. अभिलेख से पता चलता है कि उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक ने एसएलपी (आपराधिक) संख्या 10526 वर्ष 2026 (अमित त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) दायर की, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 14.07.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"1. यद्यपि यह विशेष अनुमति याचिका एक हानिरहित आदेश दिनांक 27.02.2026 के विरुद्ध प्रतीत होती है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की तीसरी जमानत आवेदन को उपयुक्त पीठ के समक्ष

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था, सारतः, इसमें उक्त जमानत आवेदन के शीघ्र निपटारे की प्रार्थना की गई है, जो उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। यह सत्य हो सकता है कि आवेदक 21 मामलों में संलिप्त है, लेकिन तथ्य यह है कि वह पहले ही 5 वर्ष अभिरक्षा में बिता चुका है।

2. इस न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय को लंबित जमानत आवेदन पर समयबद्ध तरीके से निर्णय लेना चाहिए। अतः, हम इस विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह लंबित जमानत आवेदन पर शीघ्रता से, अधिमानतः दो सप्ताह के भीतर निर्णय ले।

3. यदि कोई आवेदन लंबित है, तो उसे बंद माना जाएगा।

6. उक्त आदेश द्वारा उच्च न्यायालय से आवेदक की लंबित जमानत आवेदन पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था। मामले की कार्यवाही पत्रक से पता चलता है कि इस मामले में अल्पकालिक जमानत/पैरोल आवेदन दायर की गई थी, जिसे माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष नामांकन के लिए रखा गया था और दिनांक 23.06.2026 के आदेश द्वारा मामले को इस न्यायालय की दूसरी पीठ को नामित किया गया था। उक्त नामित पीठ ने दिनांक 25.06.2026 के आदेश द्वारा आवेदक की अल्पकालिक जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए उसे 10 दिनों की अल्पकालिक जमानत प्रदान की। कार्यवाही पत्रक से यह भी पता चलता है कि संशोधन आवेदन संख्या 5 वर्ष 2026 दायर की गई है, जिसे कार्यालय द्वारा कार्यालय रिपोर्ट दिनांक 29.06.2026 के माध्यम से अभिलेख में दर्ज किया गया है। यह मामला आज इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।

7. चूंकि इससे पहले अल्पकालिक जमानत/पैरोल आवेदन माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष नामांकन के लिए रखा गया था और दिनांक 23.06.2026 के आदेश द्वारा इसे दूसरी पीठ को नामित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



किया गया था और उक्त पीठ ने उक्त अल्पकालिक जमानत/पैरोल आवेदन को स्वीकार कर लिया था, इसलिए जमानत आवेदन की सुनवाई के लिए एक पीठ को नामित करने हेतु मामले को फिर से माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।

8. यदि संभव हो तो इस मामले को 29.07.2026 को उपयुक्त पीठ के समक्ष नए सिरे से सूचीबद्ध किया जाए।“

12. माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश दिनांक 28.07.2026 के द्वारा यह मामला इस पीठ को नामित किया गया था। इसके बाद 29.07.2026 को इस मामले पर सुनवाई हुई और आवेदक की ओर से स्थगन का अनुरोध किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 29.07.2026 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने उक्त मामले को स्थगित कर दिया। उक्त आदेश इस प्रकार है:-

"1. वादसूची पुनरावलोकित की गई।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राम शिरोमणि यादव के पक्षधारक अधिवक्ता श्री ए.के. बिसारिया, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक तिवारी और राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री वी.डी. ओझा उपस्थित थे और उन्हें सुना गया तथा अभिलेखों का परिशीलन किया गया।

3. इस मामले को आज पूरक नई सूची-II में सूचीबद्ध किया गया है।

4. दिनांक 22.07.2026 को आदेश पत्र के अनुसार मामले के तथ्यों पर ध्यान देते हुए, इस न्यायालय ने मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष नामांकन के लिए रखने का निर्देश दिया। आदेश इस प्रकार है:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"1. वादसूची पुनरावलोकित की गई।

2. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश पांडे, जिनकी सहायता आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री यशस्विन वेणुगोपाल बाजपेयी कर रहे थे, प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक तिवारी और श्री महेंद्र पांडे, तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम श्री अजय सिंह को सुना गया और अभिलेखों का परिशीलन किया।

3. यह तीसरी जमानत आवेदन है। आवेदक की पहली जमानत आवेदन को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 20.12.2021 के आदेश द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 8201 वर्ष 2021 (अमित त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में खारिज कर दिया था। आवेदक की दूसरी जमानत आवेदन दायर की गई थी, जिसे उक्त पीठ ने खारिज कर दिया था और फिर माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिनांक 16.08.2024 को पारित आदेश द्वारा मामले को इस पीठ को नामित किया गया था। दूसरी जमानत आवेदन को फिर दिनांक 01.08.2025 को इस पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 28036 वर्ष 2024 (अमित त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

4. 27.02.2026 को यह मामला पहली बार इस न्यायालय के समक्ष आया और निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

"1. वादसूची पुनरावलोकित की गई।

2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विशाखा पांडे के पक्षधारक अधिवक्ता श्री ज्योति कुमार सिंह और राज्य की ओर से विद्वान अपरशासकीय अधिवक्ता-प्रथम श्री अजय सिंह उपस्थित हैं।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. यह तीसरी जमानत आवेदन है।

4. पूर्व दस्तावेजों सहित सूची को उचित पीठके समक्ष शीघ्र प्रस्तुत करें।"

5. अभिलेख से पता चलता है कि उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक ने एसएलपी (आपराधिक)

संख्या 10526 वर्ष 2026 (अमित त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) दायर की, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 14.07.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"1. यद्यपि यह विशेष अनुमति याचिका एक हानिरहित आदेश दिनांक 27.02.2026 के विरुद्ध प्रतीत होती है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की तीसरी जमानत आवेदन को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था, सारतः, इसमें उक्त जमानत आवेदन के शीघ्र निपटारे की प्रार्थना की गई है, जो उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। यह सत्य हो सकता है कि आवेदक 21 मामलों में संलिप्त है, लेकिन तथ्य यह है कि वह पहले ही 5 वर्ष अभिरक्षा में बिता चुका है।

2. इस न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय को लंबित जमानत आवेदन पर समयबद्ध तरीके से निर्णय लेना चाहिए। अतः, हम इस विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह लंबित जमानत आवेदन पर शीघ्रता से, अधिमानतः दो सप्ताह के भीतर निर्णय ले।

3. यदि कोई आवेदन लंबित है, तो उसे बंद माना जाएगा।"

6. उक्त आदेश द्वारा उच्च न्यायालय से आवेदक की लंबित जमानत आवेदन पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था। मामले की कार्यवाही पत्रक से पता चलता है कि इस मामले में अल्पकालिक जमानत/पैरोल आवेदन दायर की गई थी, जिसे माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष नामांकन के

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



लिए रखा गया था और दिनांक 23.06.2026 के आदेश द्वारा मामले को इस न्यायालय की दूसरी पीठ को नामित किया गया था। उक्त नामित पीठ ने दिनांक 25.06.2026 के आदेश द्वारा आवेदक की अल्पकालिक जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए उसे 10 दिनों की अल्पकालिक जमानत प्रदान की। कार्यवाही पत्रक से यह भी पता चलता है कि संशोधन आवेदन संख्या 5 वर्ष 2026 दायर की गई है, जिसे कार्यालय द्वारा दिनांक 29.06.2026 की कार्यालय रिपोर्ट के माध्यम से अभिलेख में दर्ज किया गया है। यह मामला आज इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।

7. चूंकि इससे पहले अल्पकालिक जमानत/पैरोल आवेदन माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष नामांकन के लिए रखा गया था और दिनांक 23.06.2026 के आदेश द्वारा इसे दूसरी पीठ को नामित किया गया था और उक्त पीठ ने उक्त अल्पकालिक जमानत/पैरोल आवेदन को स्वीकार कर लिया था, इसलिए जमानत आवेदन की सुनवाई के लिए एक पीठ को नामित करने हेतु मामले को फिर से माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।

8. यदि संभव हो तो इस मामले को 29.07.2026 को उपयुक्त पीठ के समक्ष नए सिरे से सूचीबद्ध किया जाए।

5. माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिनांक 28.07.2026 के आदेश के माध्यम से इस मामले को इस पीठ के समक्ष नामित किया गया है।

6. सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 14.07.2026 के आदेश द्वारा मामले में तेजी लाने का आदेश दिया है और उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि जमानत आवेदन पर अधिमानतः दो सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. आज आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस मामले की पैरवी एक विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा की जानी है, जिन्हें आज मामले की सुनवाई सूचीबद्ध होने की सूचना दी गई थी, लेकिन चूंकि वे न्यायालय से बाहर चले गए हैं, इसलिए मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाए।

8. मामले की सुनवाई को स्थगित करने की मांग वही पक्ष कर रहा है जिसने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले की शीघ्र सुनवाई की मांग की थी। प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

9. इस मामले को 05.08.2026 को नए सिरे से सूचीबद्ध किया जाए।“

13. इसके बाद इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2026 को आदेश पारित किया गया, जिसका उल्लेख इस आदेश के प्रस्तर 3 में पहले ही किया जा चुका है।

14. यह तीसरी जमानत आवेदन है। आवेदक की पहली जमानत आवेदन इस न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा दिनांक 20.12.2021 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 8201 वर्ष 2021 में पारित आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी। आवेदक की दूसरी जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2025 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 28036 वर्ष 2024 में पारित आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी।

15. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने एकमात्र तर्क यह उठाया कि विचारण में अत्यधिक देरी हो रही है। उनका कहना है कि आरोपपत्र के अनुसार 46 साक्षी हैं और वर्तमान में पी.डब्ल्यू.-9 की परिसाक्ष्य विचारण न्यायालय में दर्ज की जा रही है, इसलिए विचारण में समय लगेगा। आगे यह भी कहा गया है कि सह-अभियुक्त आदित्य उर्फ वासु, दीपक उर्फ चिट्टू, उज्ज्वल शर्मा उर्फ गोलू उर्फ गोलडी,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विकास और अश्वनी को जमानत मिल गई है। शपथपत्र के प्रस्तर 17 में यह बताया गया है कि आवेदक 21 आपराधिक मामलों में संलिप्त है, जिनका स्पष्टीकरण उसमें दिया गया है। इसके अलावा, दिनांक 24.02.2026 के पूरक शपथपत्र के प्रस्तर 5 और 6 में यह बताया गया है कि आवेदक के विरुद्ध एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है जो वर्तमान मामले से संबंधित है और आयुध अधिनियम के अंतर्गत अपराध से संबंधित है। यह बताया गया है कि आवेदक वर्तमान मामले के अलावा 22 अन्य मामलों में संलिप्त है, जिनका विधिवत स्पष्टीकरण दिया गया है। यह बताया गया है कि आवेदक 20.10.2020 से जेल में है।

16. इसके विपरीत, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के विवरण वाली सूची के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने अपनी ओर से केवल 10 साक्षियों के नाम दिए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल विचारण न्यायालय द्वारा नौवें साक्षी का अभिकथन दर्ज किया जा रहा है और इस प्रकार विचारण काफी आगे बढ़ चुका है और केवल एक साक्षी की जांच बाकी है। इसके अलावा, शपथपत्र के अनुलग्नक-6 के रूप में संलग्न विचारण न्यायालय के आदेशों (जो 10.10.2024 से 20.12.2025 तक के हैं) को प्रस्तुत करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने विभिन्न तिथियों के आदेश पत्र प्रस्तुत किए और बताया कि सह-अभियुक्तों द्वारा मामले में नियमित रूप से छूट मांगी गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था और तिथियों को स्थगित कर दिया गया था। आगे यह भी निवेदन किया जाता है कि अभियुक्त रूबी और अश्वनी 7 नवंबर 2025 से विचारण न्यायालय से अनुपस्थित रहे, जिसके बाद उनके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किए गए। इसके बाद अभियुक्त विकास भी 21 नवंबर 2025 से फरार हो गया, जिसके विरुद्ध भी गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। निवेदन किया जाता है कि इस न्यायालय के समक्ष दूसरी जमानत आवेदन के समय प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से यह तर्क

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दिया गया था कि विचारण न्यायालय द्वारा जांच किए जाने वाले साक्षियों की सूची के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कैलेंडर के अनुसार विचारण लगभग पूरा होने वाला है, लेकिन उक्त तर्क के बावजूद, जैसा कि 1 अगस्त 2025 के आदेश के प्रस्तर 7 में उल्लेख किया गया है, इस तीसरी जमानत आवेदन में इसका खंडन करने के लिए कुछ भी अभिलेख पर नहीं लाया गया है। निवेदन किया जाता है कि आवेदक द्वारा स्वयं प्रकट किए गए आपराधिक इतिहास से भी पता चलता है कि वह वर्तमान मामले के अलावा 22 अन्य मामलों में भी संलिप्त है। यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक की पहली और दूसरी जमानत आवेदनों क्रमशः 20.12.2021 और 01.08.2025 के विस्तृत आदेशों द्वारा गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था। यह निवेदन किया जाता है कि इस जमानत आवेदन में कोई नया आधार नहीं है, क्योंकि सह-अभियुक्त को जमानत दिए जाने का आधार भी आवेदक की दूसरी जमानत आवेदन में विचाराधीन है।

17. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने भी जमानत हेतु प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और कहा कि मामले का विचारण पूरी तत्परता से चल रहा है और अभियोजन पक्ष अपने साक्षियों को परिसाक्ष्य दर्ज कराने के लिए पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि विचारण न्यायालय के आदेश पत्र से पता चलता है कि कई सह-अभियुक्तों ने बार-बार विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण स्थगित करने की अपील की है और यहां तक कि तीन सह-अभियुक्त फरार हो गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मामले के गुणदोष के संबंध में, आवेदक की पहली और दूसरी जमानत आवेदनों को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विचारण उन्नत चरण में है और अभियोजन पक्ष शेष साक्षियों को बिना किसी देरी के विचारण न्यायालय के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि इस जमानत आवेदन में कोई नया आधार नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



18. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों का परिशीलन करने के बाद यह स्पष्ट है कि आवेदक की पहली जमानत आवेदन इस न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा आदेश दिनांक 20.12.2021 द्वारा खारिज कर दी गई थी। इसके बाद, इस पीठ को मामला नामित किए जाने के बाद, दूसरी जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई और इस पीठ द्वारा दिनांक 01.08.2025 के आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश इस प्रकार है:-

"1. वादसूची पुनरावलोकित की गई।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री निखिल कुमार और श्री ए.सी. श्रीवास्तव, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक तिवारी, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बीरेंद्र प्रताप सिंह को सुना और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का परिशीलन किया।

3. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत यह जमानत आवेदन आवेदक अमित त्यागी द्वारा दायर किया गया है, जिसमें पुलिस स्टेशन मोदी नगर, जिला गाजियाबाद में दर्ज भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302, 120-बी, 34 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 668 वर्ष 2020 के संबंध में विचारण की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग किया गया है।

4. यह दूसरा जमानत आवेदन है। आवेदक की पहली जमानत आवेदन माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा दिनांक 20.12.2021 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 8201 वर्ष 2021 में पारित आदेश के अनुसार, द्वारा खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश इस प्रकार है:-

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

संक्षेप में तथ्य यह हैं कि 25.08.2020 को सूचनाकर्ता जितेंद्र कुमार द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 24.8.2020 को लगभग सुबह 7.20 बजे, उनके बेटे अक्षय कुमार को अश्वनी द्वारा उनके घर से अगवा कर लिया गया था।

1. यद्यपि यह विशेष अनुमति याचिका एक अहानिकर आदेश दिनांक 27.02.2026 के विरुद्ध प्रतीत होती है, जिसके द्वारा आवेदक की तीसरी जमानत आवेदन को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था, सारतः इसमें उक्त जमानत आवेदन के शीघ्र निपटारे की प्रार्थना की गई है, जो उच्च न्यायालय में लंबित है। यह सत्य हो सकता है कि आवेदक 21 मामलों में संलिप्त है, लेकिन तथ्य यह है कि वह पहले ही 5 वर्ष अभिरक्षा में बिता चुका है।

2. इस न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय को लंबित जमानत आवेदन पर समयबद्ध तरीके से निर्णय लेना चाहिए। अतः, हम इस विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह लंबित जमानत आवेदन पर शीघ्रता से, अधिमानतः दो सप्ताह के भीतर निर्णय ले।

3. यदि कोई आवेदन लंबित है, तो उसे बंद माना जाएगा।

यह तर्क दिया गया कि पहली जमानत आवेदन इस आधार पर खारिज की गई थी कि सीसीटीवी फुटेज में आवेदक और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को मामले में फंसाया गया है, सह-अभियुक्त की जमानत आवेदन खारिज कर दी गई है और आवेदक का आपराधिक इतिहास है। जमानत आवेदन के समर्थन में शपथपत्र के प्रस्तर 16 में यह भी कहा गया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष कोई

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं किया गया है और न ही किसी साक्षी ने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने अभिकथन में किसी सीसीटीवी फुटेज का जिक्र किया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि सह-अभियुक्त दीपक उर्फ चिट्ठू, श्रीमती अरुणा, विकास, आदित्य उर्फ वासु और उज्ज्वल शर्मा उर्फ गोलू उर्फ गोल्डी की जमानत आवेदनों को इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 1.7.2021, 24.8.2021, 6.10.2021, 11.10.2022 और 31.1.2023 के आदेशों के माध्यम से आपराधिक विविध मामलों क्रमशः जमानत आवेदन संख्या 6863 वर्ष 2021, 21316 वर्ष 2021, 13023 वर्ष 2021, 4205 वर्ष 2021 और 30959 वर्ष 2021 में खारिज कर दी गई थीं। इसके बाद माननीय न्यायालय ने क्रमशः दिनांक 6.6.2023, 19.9.2023, 16.10.2023, 12.3.2024 और 9.5.2024 के आदेशों के माध्यम से अंतर्गत आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 22463 वर्ष 2023, 54463 वर्ष 2021, 43906 वर्ष 2023, 16539 वर्ष 2023 और 47497 वर्ष 2023 में आदित्य उर्फ वासु, दीपक उर्फ चिट्ठू, उज्ज्वल शर्मा उर्फ गोलू उर्फ गोल्डी, विकास और अश्वनी के दूसरे जमानत आवेदनों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक कुछ आपराधिक मामलों में संलिप्त है, जिनका विवरण जमानत आवेदन के समर्थन में दिए गए शपथपत्र के प्रस्तर संख्या 15 में दिया गया था, जिसमें उसके विरुद्ध 14 मामलों का खुलासा और स्पष्टीकरण था, लेकिन यह पूर्ण खुलासा और स्पष्टीकरण नहीं था। इसलिए, दिनांक 20.4.2025 के प्रत्युत्तर शपथपत्र के प्रस्तर 4 में उसके विरुद्ध 21 आपराधिक मामलों का खुलासा और स्पष्टीकरण दिया गया है। यह निवेदन किया जाता है कि कुछ मामलों में आवेदक को दोषमुक्त कर दिया गया है, जबकि अन्य मामलों में आवेदक जमानत पर है। एक मामले में, संबंधित एसडीएम ने कार्यवाही रोक दी क्योंकि यह धारा 110 दंड प्रक्रिया के अंतर्गत थी और समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। यह निवेदन किया जाता है कि विचारण में आरोप

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पत्र में 46 साक्षी हैं, जिनमें से अब तक केवल 8 साक्षियों की ही जांच हुई है, इसलिए विचारण में समय लगेगा। आवेदक 20.10.2020 से जेल में है।

7. इसके विपरीत, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया। प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक एक शातिर अपराधी है और वर्तमान मामले के अलावा 21 आपराधिक मामलों में संलिप्त है, जिनका खुलासा उन्होंने 18.2.2025 के अपने प्रति-शपथपत्र के प्रस्तर 3 में किया है। यहां तक कि पुलिस स्टेशन मुराद नगर, जिला गाजियाबाद में आवेदक के विरुद्ध इतिहास पत्र संख्या 60-ए के अंतर्गत एक इतिहास पत्र भी दर्ज है। उन्होंने आगे बताया कि आवेदक के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत छह मामले, धारा 307 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक मामला और गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत तीन मामले दर्ज हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह एक शातिर अपराधी है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामला भी धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत है और इस प्रकार इस मामले में आवेदक की संलिप्तता से पता चलता है कि आवेदक ने बार-बार इसी तरह के अपराध किए हैं। आगे यह निवेदन किया जाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कैलेंडर के अनुसार, विचारण न्यायालय द्वारा जांचे जाने वाले साक्षियों की सूची के आधार पर, विचारण लगभग पूरा होने वाला है, क्योंकि तथ्यात्मक साक्षियों के अलावा दो विवेचना अधिकारी थे, जिनमें से एक विवेचना अधिकारी की विवेचना हो चुकी है, जबकि दूसरे विवेचना अधिकारी की परिसाक्ष्य दर्ज की जा रही है। इस प्रकार विचारण उन्नत चरण में है और पूरा होने के करीब है, और इस स्तर पर आवेदक की रिहाई विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि यद्यपि प्रति-शपथपत्र के प्रस्तर 21 में सीसीटीवी फुटेज और अन्य दलीलों के संबंध में शपथपत्र के प्रस्तर 16 की सामग्री को गलत बताया गया है, लेकिन तथ्य यह है कि विवेचना अधिकारी द्वारा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



एक सीसीटीवी फुटेज एकत्र किया गया है, जिसे उन्होंने केस डायरी का हिस्सा बनाया है। निवेदन किया जाता है कि आवेदक की पहली जमानत इस न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा विस्तृत आदेश के आधार पर खारिज कर दी गई थी और जमानत के लिए कोई नया आधार नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाए। वैसे भी, आवेदक ने न्यायालय के समक्ष प्रासंगिक और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, क्योंकि उसने शुरू में जमानत आवेदन के समर्थन में दिए गए शपथपत्र के प्रस्तर 15 में अपने विरुद्ध केवल 15 आपराधिक मामलों का खुलासा किया था, लेकिन बाद में प्रति-शपथपत्र में 21 आपराधिक मामलों का खुलासा किया, जिसका उत्तर प्रत्युत्तर शपथपत्र में दिया गया और स्पष्टीकरण दिया गया। यह तथ्य भी न्यायालय के समक्ष प्रासंगिक और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना है।

8. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने भी जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया और कहा कि वे प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को दोहरा रहे हैं। आगे यह भी कहा गया कि आवेदक की पहली जमानत आवेदन इस न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दी गई थी। आवेदक एक कुख्यात अपराधी है और 21 आपराधिक मामलों में संलिप्त है, और मामलों की प्रकृति से स्पष्ट है कि ये गंभीर मामले हैं। आगे यह भी कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर विवेचना में शामिल किया गया है। इसे केस डायरी संख्या 35 दिनांक 12.10.2020 के माध्यम से केस डायरी और विवेचना का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें क्रमांक 6 पर किए गए मुख्य कार्य के संबंध में, विवेचना अधिकारी ने कहा है कि सूचनाकर्ता जितेंद्र कुमार और साक्षी शुभम ने सीसीटीवी फुटेज से अभियुक्त की पहचान की, जिसके बाद उक्त सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर सील कर केस डायरी का हिस्सा बनाया गया। निवेदन है कि इस प्रकार जमानत आवेदन के समर्थन में शपथपत्र के प्रस्तर संख्या 16 में यह कथन कि कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, गलत है। अतः जमानत आवेदन खारिज की जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और अभिलेख का परिशीलन करने के बाद यह स्पष्ट है कि यह दूसरी जमानत आवेदन है। आवेदक की पहली जमानत आवेदन इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दी थी। आवेदक एक कुख्यात अपराधी है जिसके विरुद्ध 21 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। संबंधित पुलिस स्टेशन में उसके विरुद्ध आपराधिक इतिहास भी दर्ज किया गया है। शुरू में जमानत आवेदन में केवल 14 आपराधिक मामलों का ही उल्लेख किया गया था जिनमें उसकी संलिप्तता बताई गई थी, लेकिन प्रतिवाद में उक्त 21 आपराधिक मामलों का खुलासा होने के बाद, प्रत्युत्तर में स्पष्टीकरण दिया गया। इस प्रकार आवेदक द्वारा अपने आपराधिक इतिहास को छुपाया गया है। आवेदक की संलिप्तता वाले मामलों की प्रकृति से स्पष्ट होता है कि वे गंभीर प्रकृति के मामले हैं। विचारण उन्नत चरण में है। जमानत के लिए कोई नया आधार नहीं बनता है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मुझे यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता, इसलिए जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।"

19. यह तीसरी जमानत आवेदन इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई है और सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी सुनवाई में तेजी लाने का आदेश दिया है। आवेदन में उल्लिखित आधार विचारण में देरी से संबंधित है। प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनः दोहराया गया तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षियों की संख्या संबंधी सूची के अनुसार, अभियोजन पक्ष विचारण में अपनी ओर से कुल 10 साक्षी पेश करना चाहता है। यह निर्विवाद है कि नौवें अभियोजन साक्षी का परिसाक्ष्य विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया जा रहा है। इस प्रकार केवल एक साक्षी की जांच शेष है। सह-अभियुक्त को जमानत दिए जाने का तथ्य इस तीसरी जमानत आवेदन में कोई नया

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आधार नहीं है। इस पर इस न्यायालय ने आवेदक की दूसरी जमानत आवेदन में ही विचार किया है, जैसा कि उस आदेश के प्रस्तर 6 को पढ़ने से स्पष्ट होगा। आवेदक का आपराधिक इतिहास है जिसमें वर्तमान मामले सहित कुल 23 मामले दर्ज हैं। इनमें से छह मामले धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, एक मामला धारा 307 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, तीन मामले गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत हैं। उसके विरुद्ध पुलिस स्टेशन मुराद नगर, जिला गाजियाबाद में हिस्ट्री शीट संख्या 60-ए भी दर्ज की गई है। इस प्रकार, वर्तमान मामला भी धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आता है। उक्त तथ्य दर्शाते हैं कि आवेदक धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामलों में बार-बार शामिल रहा है, जिसमें कानून के अंतर्गत अधिकतम दंडादेश का प्रावधान है। वह अन्य धाराओं के अंतर्गत भी मामलों में संलिप्त है। प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अभिकथन के अनुसार, इस स्तर पर और यहां तक कि दूसरे जमानत आवेदन पर विचार के दौरान भी, विचारण अंतिम चरण में है। इस तीसरे जमानत आवेदन में कोई नया आधार नहीं है।

20. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं मानता है, इसलिए जमानत आवेदन **खारिज किया जाता है।**

21. इसके अलावा, इस स्तर पर अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने साक्षियों को विचारण न्यायालय के समक्ष तत्परतापूर्वक पेश करे और विचारण न्यायालय से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह विचारण को अनावश्यक रूप से स्थगित न करे और इस मामले में अनावश्यक स्थगन न दे।

22. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की सूचना तत्काल संबंधित न्यायालय को दें।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



23. लंबित आवेदन (यदि कोई हो) का निपटारा कर दिया जाएगा।

12 अगस्त, 2026

ए.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”